

न्यायालय श्री पुरुषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 08/2012

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नाथी पुत्री सुखदेव, जाति-खाती, निवासी-ग्राम हरसूलिया, तहसील-फागी।
2. शान्ति पत्नी जगदीश जांगिड पुत्री सुखदेव, जाति-खाती, निवासी-ग्राम दयारामपुरा, पो0-कानोता, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर।
3. कंचन पत्नी सत्यनारायण पुत्री सुखदेव, जाति-खाती, निवासी-ग्राम राणोली, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक।
4. नन्नू पुत्री सुखदेव, जाति-खाती, निवासी-ग्राम हरसूलिया, तहसील-फागी।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपटित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति:-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम मूरतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 04 बीधा 11 बिस्वा सिवायचक नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 04 बीधा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा सुखदेव पुत्र श्री जीवण, कौम खाती के हक में दिनांक 30.01.1978 को नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-55 सुखदेव के नाम दर्ज होकर गैर-खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं0-118 स्वीकार किये जाने से नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063-2066 अनुसार खातेदार के नाम दर्ज हैं।

भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के



विपरीत है तथा डी.वी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दि. 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक विला लगानी गैर-मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् परोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमावंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम मूरतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 2 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा सुखदेव पुत्र श्री जीवण, कौम खाती के हक में दिनांक 30.01.1978 को नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-55 सुखदेव के नाम दर्ज होकर गैर-खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं०-118 स्वीकार किया गया है। नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063-2066 अनुसार खातेदारी दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, नला, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख०न० 2 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा वाके ग्राम मूरतपुरा सुखदेव पुत्र श्री जीवण, कौम-खाती को उप खण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा दिनांक 30.01.1978 को नियमन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं०-55 के कॉलम सं०-14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमन कर आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 में यह आराजी गैर-मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी

अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। नियमन दिनांक 30.01.1978 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं और ये शासकीय राजपत्र में इनके






प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नला की आराजी को दि. 30.01.1978 को सुखदेव पुत्र जीवण, जाति-खाती को नियमन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध नियमन/आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में नियमन/आवंटन एवं नियमन/आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 ग्राम मूरतपुरा की आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा सिवायचक नाकाबिल काश्त किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा सुखदेव पुत्र श्री जीवण, कौम खाती के हक में नियमन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-55 सुखदेव के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण सं०-118 स्वीकार हुआ है। नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063-2066 में अप्रार्थी सुखदेव का नाम दर्ज है। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए

है। अतः बहस विद्वान् परोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को नियमन/आवंटन दिनांक 30.01.1978 को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत्



2011-2030 से होती है और इस आराजी का नियमन सुखदेव पुत्र जीवण, जाति-खाती को दिनांक 30.01.1978 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0-55 ग्राम-मूरतपुरा से होती है। गैर-खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या-55 व खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 118 स्वीकार किया गया है। विवादग्रस्त आराजी जमावन्दी सम्वत् 2063-2066 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार विला लगानी सिवायचक गैर-मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि का नियमन/आवंटन कर खातेदारी दी गई है, जो प्रारम्भ से शून्य है और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती है। नियमानुसार गैर-मुमकीन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई है/ली गई है जो प्रारम्भ से शून्य है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 2 रकवा 4 बीघा 11 बिस्वा में से 15 बिस्वा वाके ग्राम-मूरतपुरा नियमन दिनांक



30.01.1978 बहक सुखदेव पुत्र जीवण, जाति-खाती को निरस्त करने एवं इस नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त

(11)

कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक नाकाविल काश्त किस्म जमीन गैर-मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.07.2019 को सुनाया गया।



(पुरुषोत्तम शर्मा)
 कृषि कलक्टर (द्वितीय)
 अजमेर